संख्या- 96 /2017 / 1580 /चार-2017 -2 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निदेशालय के अधनीस्थ अकादमी/संस्थाओं का वेतन अनुदान में अवशेष बजट की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1385/सं0नि0-20(आवंटन)/2017-18 दिनांक 03 अगस्त , 2017 तथा शासनादेश संख्या-57/2017/570/चार-2017-2(बजट)/2017 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) में संस्कृति निदेशालय के अधीन कार्यरत संस्थाओं/अकादमियों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में आय-व्ययक के अनुसार धनराशि रू0 559.32 लाख (रूपये पॉच करोड उन्सठ लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तद्नुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष माहों के लिए संस्कृति निदेशालय के अधीन कार्यरत संस्थाओं/अकादमियों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु संलग्नक-क में उल्लिखित विवरण के अनुसार 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद हेतु रू0 508.48 लाख (रूपये पॉच करोड आठ लाख अडतालिस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आंवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित /वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 , दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा कार्यालय संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 , दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-

http://shasanadesh.up.nic.in/

समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 , दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 , दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 96 /2017/ 1580 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक/सचिव समस्त अकादमी/संस्थान हेतु।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 96 /2017/ 1580 /चार-2017 -2(बजट)/2017 दिनांक 28 अगस्त, 2017 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2017 -18 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण

(धनराशि लाख में)

मदें	धनराशि लाख में।
2205-कला एवं संस्कृति **101-ललित कला शिक्षा**	
06- उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	44.29
07- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	91.36
08- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	104.02
09- कथक केन्द्र लखनऊ के विकास के लिए अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	33.66
12- वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन (मथुरा) को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	21.96
16- उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	9.28
17- अयोध्या शोध संस्थान को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	38.29
20- कथक नृत्य संस्थान, लखनऊ को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	19.27
21- भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	138.03
22- लोक एवं जनजाति कला तथा संस्कृति सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना	
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	8.32
योग	**508.48**

(रूपये पॉच करोड आठ लाख अडतालिस हजार मात्र)

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/